नगर के वृद्धजनों में सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक समायोजन की समस्या (पटना नगर के संदर्भ में)

डॉ० राजेश कुमार*

वृद्धावस्था जीवन की शशक्त अवस्था है। इस अवस्था में अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। सामान्य जन–स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा में सुधार, शिक्षा, आय एवं जीवन स्तर में वृद्धि जैसे सामाजिक एवं प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा जनांकिकीय परिवर्तन होता है। इन सुधारों के कारण सभी आय वर्गों की मृत्यु दर में कमी आई है तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। भारत में 1995 में औसत आयु 65 वर्ष थी जबकि कुछ देशों में 80 वर्ष थी। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग आश्रित जनसंख्या के अन्तर्गत आते क्योंकि ये किसी न किसी रूप से दूसरों पर आश्रित होते हैं। किसी भी राष्ट्र में लोगों की आयु संरचना जनसंख्या परिवर्तन के तत्वों के क्रियात्मक रूप से सम्बद्ध होती है।

परम्परागत भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली के अन्तर्गत वृद्धों को उचित आदर तथा सम्मान दिया जाता रहा है। वर्तमान समय में कुछ ही परिवारों में पारिवारिक निर्णयों या कार्यों में वृद्धों की सहभागिता होती है। इस दृष्टि से संयुक्त परिवार प्रणाली एक अनूठी एवं अद्वितीय प्रणाली रही है जिसमें समाज के असहाय, अनाथ, विधवा, विधुर, परित्यक्त, सेवानिवृत्त एवं वृद्ध लोगों के लिए पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। परन्तु औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, धर्म, प्रथा परम्पराओं के महत्व में ह्रास, सामाजिक गतिशीलता तथा व्यक्तिवादी एवं भौतिकवादी मूल्यों के प्रसार के कारण संयुक्त परिवार के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से वृद्ध वर्गों का जीवन समस्याग्रस्त हो गया है।

इस सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त योजनाओं तथा ओल्डएज होम्स की व्यवस्था के कारण वृद्धों की आर्थिक, समस्या उतनी गम्भीर नहीं है जितनी सामाजिक एवं पारिवारिक समस्या। परन्तु भारत जैसे विकासशील एवं संक्रमण काल से गुजर रहे देश में एक ओर जहाँ सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की कमी है वहीं दूसरी ओर निर्धनता के कारण

***असिस्टेंट प्रोफेसर बी०एम०ए० कॉलेज एल०एन०एम०यू०, दरभंगा**

वृद्धावस्था के लिए धनसंचय की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार के रूप में विद्यमान परम्परागत सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी एकाकी परिवारों से प्रभावित हो रही है जहाँ वृद्धों के लिए कोई स्थान नहीं होता। परिवार के स्वरूप और कार्यों में परिवर्तन के साथ सामाजिक मूल्यों एवं प्रतिमानों में परिवर्तन वृद्धों में कुंठा के साथ सामाजिक पारिवारिक समायोजन की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। वे सामाजिक जीवन से अलगाव का अनुभव करने के साथ सामाजिक सहभागिता, प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान की कमी का भी अनुभव कर रहे हैं। वृद्धों को विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में केन्जामिनष्लॉस ने लिखा है कि "वृद्धावस्था एक विशिष्ट बीमारी के समान है। यह वह बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को लगती है। वह व्यक्ति जो जीवित रहता है, अन्य सब बीमारियाँ इस बीमारी को निरपवाद रूप से जकड़ लेती है। परिवार में वृद्धों की स्थिति को भीष्म कुमार साहनी की कहानी 'चीफ की दावत', सही रूप में उजागर करती है, जिसमें अपनी शान में बट्टा समझ कर बुढ़िया माँ को दावत के समय छिपा दिया जाता है। वास्तव में वर्तमान समय में वृद्धों को फालतू समझने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वृद्ध लोगों का भारतीय समाज में तीव्रता से परिवर्तित हो रही परिस्थितियों के साथ समायोजन करना कठिन होता जा रहा है जिसका अध्ययन अत्यन्त समीचीन है।

अध्ययन का उद्देश्य–प्रस्तुत शोध पत्र के दो मुख्य उद्देश्य हैं–वृद्धों की सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति का विवेचन करना तथा वृद्धों में सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक समायोजन की समस्या का विश्लेषण करना।

शोध प्रविधि–पटना नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले 100 वृद्धों के प्रतिदर्श का सुविधाजनक निदर्शन विधि से चयन किया गया। इनमें 40 पुरुष व 60 महिलाएँ हैं। इनसे प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची विधि द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया। शोध पत्र में द्वितीयक तथ्यों को भी संदर्भ लिया गया है।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष–

सारणी–1

प्रतिदर्श में सम्मिलित वृद्धों की सामाकि आर्थिक पृष्ठभूमि

आयु वर्ग	वृद्धों की संख्या
60–70	69
70–80	23
80–90	05
90–100	03
कुल	**100**

सारणी–2

धार्मिक व सामाजिक पृष्ठभूमि (जातीय स्थिति)

हिन्दू	96	सामान्य जाति	96
मुस्लिम	1	पिछड़ी या मध्यम जाति	1
सिख	1	अनु० जाति/जनजाति	1
जैन	2	–	2

सारणी–3

वैवाहिक स्थिति का विवरण

विवाहित	**75**
विधवा	10
विधुर	15
कुल	**100**

सारणी–4

शैक्षिक पृष्ठभूमि

अशिक्षित	35
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक	37
स्नातक/स्नातकोत्तर	23
उच्च तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा	5
कुल	**100**

सारणी–5

आर्थिक स्थिति (मासिक आय के रूप में) विवरण

5000 से कम	75
5000 से 10000	15
10000 से 15000	7
15000 से ऊपर	3
कुल	**100**

सारणी–6

आय का स्रोत

नौकरी	45
व्यापार	30
कृषि	25
कुल	**100**

सामाजिक समायोजन–वर्तमान में परिवार की सत्ता वृद्धों के हाथ से उन युवाओं के हाथों में केन्द्रित हो गई है, जो उत्पादन प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसी कारण से वृद्धावस्था काल में व्यक्ति का परिवार के साथ अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्धों में बहुत अधिक ह्रास हो जाता है। वन्दना रानी के बिजनौर जनपद के अध्ययन में मात्र 22.29 प्रतिशत वृद्धों की सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों में सहभागिता पाई गई।

सारणी–7

अकेले रहने वालों की संख्या	49
यदा–कदा अकेले रहने वालों की संख्या	51
कुल	**100**

सारणी–8

एकाकीपन महसूस करने वालों की संख्या

अक्सर	30
कभी–कभी	48
कभी नहीं	22
कुल	**100**

वन्दना रानी के अध्ययन में 79.29 प्रतिशत वृद्धि अलगाव का अनुभव करते पाये गये। राठौर के एक अध्ययन में 49 प्रतिशत वृद्ध बहुत अधिक अलगाव तथा 26.66 प्रतिशत वृद्ध सामान्य अलगाव का अध्ययन करने पाये गये जबकि बहुत कम अलगाव का अनुभव करने वाले वृद्धों की संख्या 33.33 प्रतिशत थी। इस प्रकार वर्तमान समय में अलगाव वृद्धावस्था की एक गम्भीर समस्या है।

सारणी–9

एकाकीपन महसूस करने वालों की संख्या

अक्सर	30
कभी–कभी	48
कभी नहीं	22
कुल	**100**

परिवार के कारण–परिवार के नवयुवक सदस्यों के मूल्यों

लड़कों के कारण	40
भाई बहन के विरोध के कारण	60
कुल	**100**

सारणी–10

मोक्ष प्राप्ति हेतु देवी–देवताओं की आराधना करने का विवरण

हाँ	73
नहीं	27
कुल	**100**

सारणी–11

वर्तमान जीवन के कार्य पुरस्कार अगले जन्म में भी मिलेगा इसमें विश्वास करने वालों का विवरण

हाँ	78
नहीं	22
कुल	**100**

सारणी–12

किसी धार्मिक ग्रन्थ का स्वाध्याय करने की आवृत्ति का विवरण

प्रतिदिन	40
साप्ताहिक	20
मासिक	10
वार्षिक	30

सारणी–13

मृत्यु से भय रखने वालों का विवरण

हाँ	20
नहीं	80
कुल	**100**

सारणी–14

अपनी उम्र से अधिक उम्र की इच्छा रखने वाले वृद्धों की संख्या का विवरण तथा काल

हाँ	20
नहीं	80
अवधि	5–30
कारण	पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ अधूरे कार्यों को पूरा करना।

पारिवारिक समायोजन–प्रतिदर्श में चयनित 100 वृद्धों में से 68 परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं जबकि 32 के परिवार में तीन या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास नहीं करते हैं। इनका अपने लड़कों–लड़कियों से सम्बन्ध की प्रकृति इस प्रकार है :

सारणी–15

मित्र भाव	40
सामान्य	43
अमित्र भाव	7
कोई सम्बन्ध नहीं	10
कुल	**100**

सारणी–16

वृद्धजनों के अपने लड़के–लड़कियों से पारस्परिक सम्बन्धों की आवृत्ति

नियमित	40
कभी–कभी	47
कोई सम्पर्क नहीं	13
कुल	**100**

सारणी–17

वृद्धों के अपने लड़कों–पोतों से मिलने वाली सहायता का विवरण

नगद	13
उपहार	30
भवन निर्माण में सहायता	17
घर की व्यवस्था	17
किसी भी प्रकार नहीं	23
कुल	**100**

प्रतिदर्श के 100 वृद्धों में से 45 वृद्ध अपने लड़कों के साथ रहते हैं जबकि 55 वृद्ध ऐसे हैं जो अपनी संतानों से दूर रहते हैं। इनमें से 3 अपनी संतानों से साप्ताहिक, 7 वृद्ध 15 दिनों बाद तथा 13 वृद्ध प्रतिमास मिलने जाते हैं। 10 वृद्ध वर्ष में एक बार अपनी संतानों से मिलने जाते हैं। 22 वृद्ध अपनी संतानों से मिलने नहीं जाते हैं इनमें से 12 वृद्धों की संतानें उनसे मिलने के लिए नियमित रूप से आते हैं उनकी आवृत्ति इस प्रकार है :

सारणी–18

साप्ताहिक	5
पाक्षिक (15 दिनों बाद)	2
वार्षिक	3

10 वृद्धों की संतानें उनसे मिलने के लिए नहीं आती हैं। इसका कारण उनका अपने माता–पिता से किसी प्रकार का पारिवारिक सम्बन्ध नहीं होना है।

आर्थिक समायोजन

प्रतिदर्श में सम्मिलित 100 वृद्धों में से 45 लोगों को 500 से 10000 के बीच पेंशन मिलती है तथा शेष 55 अपने जीवन यापन के लिए कृषि व्यापार तथा

दूसरों पर आश्रित है एक–तिहाई 33 वृद्ध ऐसे हैं जिनके पास इकट्ठा धन प्राप्त है जिनमें 23 को अपनी नौकरी के पश्चात् अवकाश प्राप्ति के समय मिले धन से 7 को व्यापार से तथा 3 वृद्धों को अपने पेंशन की बिक्री से इकट्ठा धन प्राप्त है, जबकि 67 वृद्ध ऐसे हैं जिनके पास किसी प्रकार का इकट्ठा धन प्राप्त नहीं है।

45 वृद्धों के पास पर्याप्त इकट्ठा धन है जिससे अवकाश प्राप्ति के पश्चात् भी अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, जबकि 55 ऐसे वृद्ध हैं जो जीवनयापन के लिए पूर्णतया दूसरों पर आश्रित हैं।

100 वृद्धों में 55 अपने निजी भवन या आवास में निवास करते हैं, जबकि 33 किराये के आवास में रहते हैं, जिनका वर्तमान समय में किराया दुगुना हो चुका है। सभी वृद्धों का भोजन एवं वस्त्र पर होने वाले व्यय दुगुना हो चुका है। 6 वृद्ध कर्जदार हैं जिनकी आय का एक हिस्सा कर्ज उतारने में व्यय हो रहा है। वर्तमान में केवल 10 वृद्ध स्वस्थ हैं जबकि 83 प्रतिशत का औषधियों पर होने वाला व्यय भी दुगुना हो गया है।

प्रतिदर्श के 63 वृद्धों ने अपने लड़के–लड़कियों के जीवनयापन की व्यवस्था की है तथा 37 वृद्ध ऐसे हैं जिन्होंने अपने संतान के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। जिन वृद्धों ने अपनी संतान के लिए जीवन यापन की व्यवस्था की है उसका विवरण इस प्रकार है :

सारणी–19

जीवन बीमा द्वारा	33
स्थाई निधि	10
अर्थ विनियोग द्वारा	9
कृषि	1
किराये की भूमि सम्पत्ति द्वारा	10

जिन 45 वृद्धों को पेंशन मिलती है उनमें से 7 ने आर्थिक समस्या के कारण पेंशन की बिक्री 5–10 वर्षों के लिए की है। शेष अपनी पेंशन की बिक्री नहीं करना चाहते हैं। पेंशन नहीं पाने वालों में कुछ व्यापार कृषि तथा दूसरों पर आश्रित हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव–भारत में वृद्धों की संख्या में निरन्तन वृद्धि हो रही है। परन्तु इस वृद्धि के साथ–साथ उनकी उचित देखभाल की भी आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में वृद्ध तिरस्कृत हैं उनको वह समान नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता हैं। वृद्धों के मामले में अध्ययन करने से पता चलता है कि दिन–प्रतिदिन संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है।

रूझान से स्पष्ट होता है कि आश्रित बुजुर्गों में महिलाओं की संख्या अधिक है। जीवन के अन्तिम पड़ाव में वृद्धों को जो सम्मान मिलना चाहिए अथवा

जिसकी उनके लिए सबसे अधिक प्राथमिकता है वह उन्हें वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। वृद्धों को अपने अन्तिम क्षणों में पैसों की नहीं बल्कि प्यार और सहारे की आवश्यकता अधिक होती है। कुछ वृद्ध बीमारी न होते हुए भी बीमार होते हैं अर्थात् वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। वे दिन भर सोच–सोच कर स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। ऐसे वृद्धों को पैसा नहीं प्यार चाहिए। भले ही कितनी ही पेंशन की सुविधाएँ बुजुर्गों को सरकार की तरफ से मिल जाएं परन्तु उन्हें शायद वह प्यार और सम्मान नहीं मिल पा रहा है।

वृद्ध शारीरिक एवं मानसिक कमजोर होते हैं तथा वे युवाओं पर निर्भर रहते हैं। किन्तु यह बात 60 वर्ष के वृद्धों पर लागू नहीं होती है। यह उम्र तो सिर्फ औपचारिक सेवा से निवृत्त होने की उम्र है। कम उम्र के बुजुर्ग उत्पादक होते हैं तथा अधिक उम्र के बुजुर्ग समाज के लिए उपयोगी। अतः वे समाज पर बोझ नहीं हैं। मृत्यु दर में कमी आयी है, तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर कल्याणकारी सेवायें सुलभ करायी जानी चाहिए तथा सभी राज्य सरकारों का वृद्धजनों के कल्याण सम्बन्धी कार्य योजना के लिए पर्याप्त धन निर्गत करना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन की शर्तों को घटाकर उम्र 60 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। वृद्धावस्था में वृद्धों को सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन देना अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वृद्धों को दूसरे के ऊपर आश्रित रहना ना पड़े।

साभार : इस शोध पत्र को समाजशास्त्र परिषद् उत्तराखण्ड के प्रथम अधिवेशन (18, 19 अक्टूबर 2008) नैनीताल में प्रस्तुत किया गया था।

संदर्भ सूची :

1. भारत की जनगणना (2001), भारत सरकार, नई दिल्ली
2. भारत (2008), सूचना एवं प्रसारण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. उद्धृत एच०एस० भाटिया (2001), "एजिंग एण्ड सोसाइटी", आर्यान बुक डिपो, उदयपुर
4. भीष्म साहनी, "चीफ की दावत", कहानी पथ
5. वन्दना रानी (1996), "वृद्धजन समस्याएँ एवं प्रत्याशाएँ : समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य", अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
6. पूर्वोक्त
7. जे०एस० राठौर, "वृद्धजनों की स्थिति एवं जीवन दृष्टि : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, मानव, वर्ष 21, अंक 4, अक्टूबर–दिसम्बर 1993

————